भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप खण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

उद्योग भवन

अधिसूचना सं0 73 (आर ई - 2010)/2009-2014

नई दिल्ली, दिनांक : 09 सितम्बर, 2011

विषयः- प्याज के निर्यात पर रोक।

सां.आ.(अ) विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 के पैरा 2.1 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, तत्काल प्रभाव से अधिसूचना संख्या 24 (आर ई-2010)/ 2009-14, दिनांक 18.02.2011 में निम्नानुसार संशोधित करती हैं-

अध्याय - 7

खाद्य सब्जियाँ और कुछ जड़ें एवं कन्द

टिप्पणी 1. इस अध्याय में प्याज के संदर्भ में ताजे अथवा हिमशीतित, अनंतिम रूप से संरक्षित अथवा शुष्कित प्याज शामिल हैं ।

क्रम.सं0	प्रशुल्क मद एचएस कोड	इकाई	मद विवरण	निर्यात नीति	प्रतिबंध का स्वरूप
44.01	07031010 07122000	किग्रा.	प्याज (बंगलौर गुलाबी प्याज और कृष्णापुरम प्याज को छोड़कर सभी किस्में) कटे, स्लाइस्ड अथवा पाऊडर के रूप में टूटे हुए को छोड़कर।	निषिद्ध	निर्यात के लिए अनुमत नहीं है।
44.02	07031010 07122000	किग्रा.	बंगलौर गुलाबी प्याज और कृष्णापुरम प्याज, कटे, स्लाइस्ड अथवा पाऊडर के रूप में टूटे हुए को छोड़कर।	निषिद्ध	निर्यात के लिए अनुमत नहीं है।

44.03	07122000	किग्रा.	कटे, स्लाइस्ड अथवा पाऊडर के रूप में टूटे हुए प्याज (सभी किस्मों के)।	निषिद्ध	निर्यात के लिए अनुमत नहीं है।

2. विदेश व्यापार नीति के पैरा 1.5 के तहत अन्तर्वर्ती व्यवस्था की अनुमति होगी।

3. इस अधिसूचना का प्रभाव :

सभी किस्मों के प्याज के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से अगले आदेशों तक निषेध है। किन्तु विदेश व्यापार नीति के पैरा 1.5 के तहत अन्तर्वर्ती व्यवस्था की अनुमति होगी।

(अनुप के0 पूजारी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई मेल :- dgft@nic.in

(फा0सं0 01/91/180/922/ए एम'08/पीसी 3/एक्सपोर्ट सेल से जारी)